फर्द अहकाम
(नियम–26)
लोक सूचना अपीलीय प्राधिकारी (ज़िला कलक्टर) चितौड़गढ़ (राज0)

श्री मांगीलाल पिता सोहनलाल प्रजापत हा. मु. फतहनगर, वार्ड नं. 12, जिला उदयपुर

बनाम

लोक सूचना अधिकारी एवं सचिव, ग्राम पंचायत, राशमी

किस्म प्रकरण अपील सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

प्रकरण संख्या 14 /2020

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
04.02.2020	सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत अपीलार्थी श्री मांगीलाल पिता सोहनलाल प्रजापत निवासी हाल मु. फतहनगर वार्ड नं. 12, वाया मावली, जिला उदयपुर ने सूचना प्राप्ति हेतु एक आवेदन दिनांक 26.12.2019 को लोक सूचना अधिकारी एवं सचिव, ग्राम पंचायत, राशमी के समक्ष प्रस्तुत किया। लोक सूचना अधिकारी एवं सचिव, ग्राम पंचायत, राशमी द्वारा प्रार्थी को उक्त आवेदन से चाही गई सूचनाऐं उपलब्ध नहीं कराने से अपीलार्थी द्वारा यह अपील इस कार्यालय को प्रस्तुत की गई है। यहां यह उल्लेखनीय है कि यह कार्यालय लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) का अपीलीय प्राधिकारी होकर लोक सूचना अधिकारी/सहायक लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत निर्धारित अवधि में सूचना उपलब्ध नही कराने पर ही अपील ग्रहण करता है। अपील के साथ संलग्न सूचना के अधिकार के तहत प्रस्तुत आवेदन के अवलोकन से स्पष्ट है कि उक्त आवेदन लोक सूचना अधिकारी एवं सचिव, ग्राम पंचायत, राशमी को सम्बोधित है एवं चाही गई सूचनाएं ग्राम पंचायत, राशमी से संबंधित है जो कि पंचायती राज विभाग का विषय है। लोक सूचना अधिकारी एवं सचिव, ग्राम पंचायत, राशमी के विरूद्ध प्रस्तुत अपील पर इस कार्यालय द्वारा सुनवाई की सक्षमता/क्षैत्राधिकार नहीं है। अतः अपीलार्थी को संबंधित अपीलीय प्राधिकारी (विकास अधिकारी, पंचायत समिति, राशमी) के यहां अपील प्रस्तुत करने के परामर्श के साथ अपील निस्तारित की जाती है। निर्णय की प्रति संबंधित को मय उनके द्वारा प्रस्तुत पोस्टल ऑर्डर नम्बर 46F 855393 राशि 10/– रूपये के प्रेषित की जावे। 04/2/20	

(चेतन देवड़ा)

लोक सूचना अपीलीय प्राधिकारी

(जिला कलक्टर)

चित्तौड़गढ़ (राज.)